न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 15/23 सन् 2023
RCMS NO-2023/114

बउनवानीः—1. श्रीमति रामभरोसी पत्नि रामफूल मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. भरतलाल पुत्र हनुमान मीना, निवासी गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर
2. चरतलाल पुत्र हनुमान मीना, निवासी गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर
3. मुकलेश पुत्र हनुमान मीना निवासी गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर
4. रामपति पत्नि हनुमान मीना निवासी गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर
5. संतोष पुत्री हनुमान मीना निवासी गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर
6. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1616 दिनांक 27.12.2022/12.01.2023 वाके ग्राम गंभीरा तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. गोविन्द प्रसाद गुप्ता — वकील अपीलान्टगण
2. श्री सी.एल.लोदवाल — वकील रेस्पो0 संख्या 1—5

—: निर्णय :— दिनांक 30.4.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1616 दिनांक 27.12.2022/12.01.2023 वाके ग्राम गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि वाके ग्राम गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर की आराजी साबिक ख0न0 33 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा पूर्व मे हनुमान पुत्र श्योपाल मीना के तथा भूरी पत्नि श्योपाल मीना की खातेदारी में हिस्सा 1/2—1/2 भाग दर्ज रिकार्ड थी। उक्त आराजी का खातेदार हनुमान पुत्र श्योपाल ने अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.5.1993 के द्वारा अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया था तत्पश्चात बकाया 1/2 हिस्सा खातेदार श्रीमति भूरी देवी पत्नि श्योपाल मीना ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.11.1996 के द्वारा अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया था इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण आराजी 6 बीघा 13 बिस्वा अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हो गयी जो अपीलान्ट के कब्जे मे चली आ रही है। मृतक भूरी की रजिस्ट्री मे 1/[illegible] 6 बिस्वा के स्थान पर सहवन या गलती से 3 बीघा का ही अकंन होने से रजिस्[illegible] की ही हो पायी थी लेकिन अपीलान्ट 3 बीघा साढे 6 बिस्वा पर काबिज रहा है। यह [illegible] काफी समय तक प्रयास के बावजूद भी खरीद शुद्वा आराजी का नामा0 [illegible] खुलने पर अपील[illegible] द्वारा दिनांक 136 एलआरएक्ट के तहत का[illegible] के आदेश से नाम[illegible]रण संख्या 941 दिनांक 30.5.2013 को अपीलान्ट के नाम तस्दीक हो गया। तत्पश्चात उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:06 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की अपील मृतक हनुमान द्वारा न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर में इस आशय की पेश की गयी कि उसकी माँ मृतक भूरी देवी द्वारा अपने 1/2 हिस्से में 3 बीघा साढे 6 बिस्वा मे से मात्र 3 बीघा भूमि ही विक्रय की है बकाया साढे 6 बिस्वा आराजी का नामा0 गलत तरीके से तस्दीक किया है जिसे निरस्त किया जावे। इस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल नामा0 आदि पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से दिनांक 31.7.2018 को अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवायी कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड की गयी। अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय के बाद न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 1.7.2022 के द्वारा यह माना गया कि भूमि मात्र 3 बीघा ही विक्रय की गयी है साढे 6 बिस्वा भूमि शेष है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट खारिज कर दिया तथा मृतक भूरी तथा मृतक हनुमान के नाम हिस्सा 1/4-1/4 गलत तरीके से 3 बीघा साढे 6 बिस्वा भूमि का नामा0 तस्दीक कर दिया जो गलत है। साबिक ख0न0 33 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा के हाल ख0 न0 152 रकबा 0.90 है0 तथा ख0न0 153 रकबा 0.77 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.67 है0 बने है। इस प्रकार विवाद मात्र साढे 6 बिस्वा का था लेकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदी गयी 3 बीघा आराजी को शामिल करते हुए 3 बीघा 6 बिस्वा का ही नामा0 विक्रेता के नाम गलत तरीके से तस्दीक कर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.8.2023 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने अपीलान्ट को प्राप्त हुई है। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयार मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि विवादित आराजी साबिक ख0न0 33 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा हाल ख0न0 152 रकबा 0.90है0, ख0न0 153 रकबा 0.77 है0 कुल खसरे 2 कुल रकबा 1.67 है0 वाके ग्राम गंभीरा मे स्थित है। न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.3.2013 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया गया जिसकी अपील प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष पेश की गयी जिसमे माननीय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 28.3.2013 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाने परं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 7/2019 श्रीमति रामभरोसी बनाम सरकार के नाम से दर्ज किया जाकर दिनांक 1.7.2022 को निर्णय पारित किया गया जिसकी पालना मे उक्त नामा 1616 दिनांक 12.1.2023 प्रत्यर्थीगणों के हक मे खोला गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 1652 दिनांक 5.11.1996 को निरस्त करवाने बाबत प्रत्यर्थीगण संख्या 2,3 ने दिनांक 16.8.2022 को दिवानी वाद संख्या 67/2022 श्रीमान सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे पेश किया है जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश नम्बर 1 सवाईमाधोपुर मे विधिवत ट्रान्सफर हुआ है जिसका केस संख्या 101/2022 है जो वर्तमान में न्यायाधीन (sub Judice) है इस कारण भी उक्त नामा0 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:06 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 15/2023 उनवानी श्रीमति रामभरोसी बनाम भरतलाल वगै.)

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट प्रकरण संख्या 202/2007 उनवानी रामभरोसी बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 28.3.2013 जिसमे साबिक ख0न0 33 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि हाल ख0न0 152 रकबा 0.90 है0 ख0न0 153 रकबा 0.77 है0 कुल किता 1.67 है0 की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये थे जिसको सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.07.2018 से निरस्त कर पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड की जाने पर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 7/2019 उनवानी रामभरोसी बनाम सरकार दर्ज की जाकर दिनांक 1.7.2022 को प्रार्थना पत्र यह मानते हुए खारिज किया कि अप्रार्थीया भूरी देवी से प्रार्थीया रामभरोसी ने दिनांक 5.11.1996 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ख0न0 33 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा हिस्सा 1/2 मे से 3 बीघा भूमि क्रय की जाने पर अप्रार्थीया भूरी देवी के पास 6½ बिस्वा भूमि रहती है किन्तु प्रार्थीया द्वारा हनुमान पुत्र श्योपाल एवं भूरी पत्नि श्योपाल की सम्पूर्ण आराजीयात अपने नाम लगाने बाबत कथन किया है जो सही नही है क्योकि भूरी पत्नि श्योपाल द्वारा 6½ बिस्वा भूमि का बैचान नही किया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसकी पालना में आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1616 दिनांक 12.01.2023 पारित कर अपीलान्ट की खातेदारी मे साबिक ख0न0 33 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि हाल ख0न0 152 रकबा 0.90 है0 ख0न0 153 रकबा 0.77 है0 कुल किता 1.67 है0 मे से 1/4—1/4 हिस्सा रेस्पो0 के नाम तथा 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज की गयी जो विधिविरूद्व है क्योकि केवल मात्र 6½ बिस्वा भूमि ही अपीलान्ट के पूर्वज भूरी देवी के नाम शेष रखकर सम्पूर्ण आराजीयात अपीलान्ट के नाम दर्ज करनी चाहिए थी। विक्रय पत्र दिनांक 5.11.1996 को लेकर वर्तमान मे सिविल न्यायालय मे वाद जैरकार है किन्तु सिविल न्यायालय की आदेशिका दिनांक 7.2.2024 तक की ही पत्रावली मे उपलब्ध है इसके पश्चात की कोई आदेशिका पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1616 निर्णय दिनांक 12.01.2023 वाके ग्राम गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर) भूरी देवी एवं हनुमान की सीमा तक खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि किसी न्यायालय का स्थगन नही हो व रहन आदि से मुक्त हो तो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो को रिकार्ड पर लिया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 5.11.1996 द्वारा विक्रय की गयी भूमि के अनुसार का 3 बीघा भूमि का अपीलान्ट के नाम एवं 6½ बिस्वा भूमि का भूरी देवी के वारिसान के नाम नामा0 भरकर दर्ज फैसल करे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2025 को लिखवायी जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:06 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner